सत्यमेव जयते

भारत सरकारÜ / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गॉव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST
मुंबई - 400 042 / MUMBAI – 400 042

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फा सं – 75-एनटी/(1)/2004 दि.03.09.2014

वर्ष 2014 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना संख्या – 17

विषय – आईएमएसबीसी कोड के अनुसार वाणिज्यिक पोतों पर ढुलाई के लिए कार्गों की जॉच करने में लगी समुद्री प्रयोगशालाओं का अनुमोदन – संबंधी ।

1. समुद्र में जीवन रक्षा हेतु अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन, 1974 (सोलास कन्वेंशन) के अध्याय VI में कार्गो की ढुलाई हेतु प्रावधान दिए गए हैं इस विनियम के अध्याय 2 में पोत स्वामियों से यह अपेक्षा है कि वे जलयान के मास्टर को लदाई से पर्याप्त पहले कार्गो के बारे में समुचित जानकारी प्रदान करें ताकि इसे उचित रीति से जंचाने और कार्गो की सुरक्षा प्रद ढुलाई के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जा सकें ।

2. संकल्प एमएससी.268 (85) के माध्यम से 4 दिसंबर 2008 को अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन द्वारा अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय ठोस बल्क कार्गो संहिता (आईएमएसबीसी कोड) को अंगीकर किया गया था । सोलास कन्वेंशन के अध्याय VI में भी संकल्प एमएससी.269(85) के माध्यम से संशोधन किया गया है, जिसमें अपेक्षा है कि ठोस बल्क कार्गो (अनाज के अलावा) की ढुलाई आईएमएसबीसी संहिता के प्रावधान का अनुपालन कर की जाए । ये प्रावधान 1 जनवरी, 2011 से प्रवृत्त है ।

3. आईएमएसबीसी संहिता के खंड 4.2 में भी पोतस्वामी से यह अपेक्षा है कि वह लदाई से पर्याप्त पहले कार्गो पर समुचित जानकारी मास्टर को प्रदान करे जिससे उसे उचित रूप से जाने और कार्गो की सुरक्षाप्रद ढुलाई के लिए सावधानियां बरती जा सकें । अन्य में से बल्क कार्गो के संबंध में जानकारी में वो जानकारी शामिल होगी जो कि सत्वों या अन्य तरल रूप ले सकने वाले कार्गो की स्थिति में कार्गो में विहित नमी (एमसी) और परिवहन योग्य नमी की सीमा (टी.एम.एल.) पर प्रमाणपत्र के रुप में हो ।

4. 21 जून, 2013 को अंगीकृत आईएमओ द्वारा संकल्प एमएससी.354 (92) के माध्यम से आईएमएसबीसी संहिता में संशोधन किए गए हैं । संशोधन 1 जुलाई 2014 को स्वीकार किए समझे जाएंगे और ये 1 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त होंगे । इन संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं कि जब कोई सत्व या अन्य ऐसा कार्गो जो तरल रूप में आने योग्य हो, उसे ले जाया जा रहा हो तब पोतस्वामी पोत के मास्टर को टीएमएल का हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र देगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा जारी की गई नमी की मात्रा की घोषणा करेगा ।

5. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के दि.28.05.2010 के पत्र संख्या भाग – 11033/67/2010 सभी बड़े पत्तनों के चेयरमैन को संबोधित पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा है कि मूल्यांकन करने वाला संगठन (यानी समुद्री प्रयोगशालाएं) नौवहन महानिदेशालय से अनुमोदित हों ।

6. दि.25.03.2014 के इस निदेशालय के पत्र संख्या 75-एनटी/(1)/2014 के माध्यम से आईएमएसबीसी संहिता के अनुसार वाणिज्य पोतों पर ढुलाई के लिए कार्गो की जाँच करने में लगी समुद्री प्रयोगशालाओं के निरीक्षण और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया के संबंध में सभी समुद्री वाणिज्य विभागों को अनुदेश जारी किए गए थे । आईएमएसबीसी संहिता के अनुसार प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन एवं अनुमोदन हेतु संवीक्षा पत्रक भी संबंधित समुद्री वाणिज्य विभागों को अग्रेषित किया गया था । सभी संबंधितों के संदर्भ हेतु इस वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना के अनुलग्नक के रूप में उक्त निरीक्षण संवीक्षा पत्रक की प्रति संलग्न है ।

7. आईएमएसबीसी संहिता के अनुसार वाणिज्यिक पोतो पर ढुलाई के लिए कार्गो की जाँच करने में लगीं समुद्री प्रयोगशालाएं जो इस निदेशालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हैं, वे निरीक्षण संवीक्षा पत्रक में दी गई अपेक्षाओं का पालन करें और अनुमोदन हेतु निरीक्षण किए जाने के लिए समुद्री प्रयोगशालाएं अपने क्षेत्र सें संबंधित समुद्री वाणिज्य विभाग से संपर्क करें ।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(कप्तान के पी जयाकुमार)
उप नॉटिकल सलाहकार,
भारत सरकार

संलग्न : अनुलग्नक